



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032024-252672  
CG-DL-E-06032024-252672

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945

No. 146]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

संख्या 13/2024-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 158(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. संख्या 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

- (1) सारणी में, क्रम संख्या 3कक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3कख	0207 42 00; 0207 45 00	बतख का मांस और एडिबल ओफल, फ्रोजन	5%	-	116”;

(2) अनुबंध में, शर्त संख्या 115 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित शर्त संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)
“116.	<p>यदि, आयात के समय, -</p> <p>a) आयातक पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एल-110109(3)/1/2016-व्यापार (ई-2625), दिनांक 22 फरवरी, 2024, में नामित अधिकारी से, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि आयातित सामान बतख का मांस और एडिबल ओफल, फ्रोजन (बत्तखों की पीठ, फ्रोजन, के अलावा), है जो उक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध में निर्दिष्ट मापदंडों को पूरा करते हैं; और</p> <p>b) आयातक, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करता है, -</p> <p>i. पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी, जो भारत सरकार के उप सचिव के पद से नीचे नहीं हो, द्वारा एक प्रमाण पत्र जिसमें सिफारिश की गई है कि आयातक पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी अधिसूचना, यथासंशोधित, के अनुसार 3-सितारा और उससे ऊपर का परिचालन होटल है, या</p> <p>ii. डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 66/2023, दिनांक 06 मार्च, 2024, यथासंशोधित, के तहत जारी एक वैध प्रतिबंधित आयात प्राधिकरण।”;</p>

2. यह अधिसूचना दिनांक 07 मार्च, 2024 से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/166/2023-टीओ(टीआरयू-I)]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

**टिप्पणी:** - मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि.सं. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 10/2024-सीमा शुल्क, दिनांक 19 फरवरी, 2024, जिसे सा.का.नि.सं. 115(अ), दिनांक 19 फरवरी, 2024, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Revenue)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th March, 2024

**No. 13/2024-Customs**

**G.S.R. 158(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification,

- (1) in the Table, after S. No. 3AA and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“3AB.	0207 42 00; 0207 45 00	Meat and edible offal, of ducks, frozen	5%	-	116”;

- (2) in the Annexure, after condition number 115 and the entries relating thereto, the following condition number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)
“116.	If, at the time of import, - (a) the importer furnishes a certificate to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, from the designated officer in terms of O.M. No. L-110109(3)/1/2016-Trade (E-2625), dated 22 <sup>nd</sup> February, 2024, issued by the Department of Animal Husbandry and Dairying, that the imported goods are meat and edible offal, of ducks, frozen (other than backs of ducks, frozen), satisfying the parameters specified in the Annex to the said O.M.; and (b) the importer furnishes to the Deputy Commissioner of Customs or the Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, - i. a certificate from an officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India in the Ministry of Tourism recommending that the importer is a 3-Star and above operational hotel as per notification issued by Ministry of Tourism, Government of India, as amended, or ii. a valid restricted import authorisation issued under DGFT notification No. 66/2023, dated 06 <sup>th</sup> March, 2024, as amended”;

2. This notification shall come into force on the 07<sup>th</sup> day of March, 2024.

[F. No. CBIC-190354/166/2023-TO(TRU-I)]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30<sup>th</sup> June, 2017, and was last amended *vide* notification No. 10/2024-Customs, dated the 19<sup>th</sup> February, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 115(E), dated the 19<sup>th</sup> February, 2024.